<u>त्रुटि संशोधन।</u>

<u>संख्या-147/2025/ I/1111447/2025/71-1002/31/2023</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 10 अक्टूबर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-03 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में त्रुटि संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-144/2025/I/1110004/2025/71-1002/31/2023, दिनांक 08.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-03 का जीर्णोद्धार कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से परियोजना की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.10.2025 के प्रस्तर-3 में परियोजना की **द्वितीय किश्त** के रूप में **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** के स्थान पर त्रुटिवश रू0 2000.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) अंकित हो गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 08.10.2025 के प्रस्तर-3 में परियोजना की **द्वितीय किश्त** के रूप में **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि निर्गत समझा व पढ़ा जाय।

4- शासनादेश संख्या-144/2025/I/1110004/2025/71-1002/31/2023,दिनांक 08.10.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
   वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्क्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।